नागरिक अधिकार पत्र

सिटीजन चार्टर– 2023

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड

(1) परिचय–

उत्तर प्रदेश सरकार के आवास अनुभाग– 3 के अंतर्गत शासनादेश संख्या– 1429–P/xi, B-39- P-49 दिनांक– 29 अप्रैल, 1950, शासनादेश संख्या– 2406–P/xi, B-39- P-49 दिनांक– 30 अक्टूबर, 1950, शासनादेश संख्या– 1021–P/xi, B-39- P-49 दिनांक– 30 अगस्त, 1951 एवं शासनादेश संख्या– 577–P/xi, B-20- P-49 दिनांक– 16 जनवरी, 1951 के अनुसार नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश का गठन किया गया।

उत्तर प्रदेश शासन के अधिसूचना संख्या– 976/9–आ0–3–98–34 एन0एन0 09/93 दिनांक– 28 अप्रैल, 1998 द्वारा मुख्यालय एवं दो खण्डीय कार्यालयो हेतु कुल– 105 पद स्वीकृत करते हुये पर्वतीय संवर्ग गठित किया गया।

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के आदेश संख्या– 27/3/2004–एस0आर0 (एस0) दिनांक– 14.11.2006 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय संवर्ग हेतु कुल 90 पदों को स्वीकृत कर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हेतु आवंटित किये गये।

शासनादेश संख्या– 143/V–2014–320(आ0)/2005 दिनांक– 25 फरवरी, 2015 द्वारा विभाग का पुर्नगठन करते हुये कुल 130 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी। पुनः शासनादेश संख्या– 657/V–2015–320(आ0)/2005 दिनांक– 04 दिसम्बर, 2015 द्वारा विभाग के लिपिक संवर्ग को पुर्नगठित करते हुये स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त पुर्नगठन संबंधी शासनादेश की छायाप्रति परिशिष्ट–1 में संलग्न है।

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण तथा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के गठन के फलस्वरूप राज्य में विनियमित क्षेत्र समाप्त हो जाने के कारण पूर्व विनियमित क्षेत्रों में कार्यरत विभाग के 09 अवर अभियन्ता नवगठित विभिन्न प्राधिकरणों में कार्यरत है।

विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले प्रमुख कार्यो का विवरण निम्नानुसार है–

1– प्रदेश की वर्तमान एवं भावी वृद्धिमान जनसंख्या हेतु आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन जैसी मौलिक सुविधाओं के न्यूनतम आवश्यक मानकों के आधार पर सीमित भूमि संसाधनों का अधिकाधिक अनुकूलतम उपयोग के साथ आवास–कार्यास्थल–मनोरंजन मध्य सुचारू संबंधता एवं आपसी समन्वय स्थापित किये जाने के उद्देश्य से महायोजना तैयार करना जिसमें एक सुनियोजित विकास की परिकल्पना निहित रहती है।

2– राज्य के समग्र आर्थिक एवं भौतिक विकास हेतु दीर्घकालीन क्षेत्रीय योजना के साथ–साथ नगरीय क्षेत्रों के अवस्थापना संबंधित समस्याओं, अनियंत्रित उपनिवेशों की प्रसार, अत्यधिक जनदबाव के कारण प्रतिस्थापित अनियोजित विकास को नियंत्रित करने एवं भावी विकास को नियोजित पर्यावरण सम्मत दिशा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से नगरों की महायोजना का गठन।

3– पर्यटन, धार्मिक महत्व के क्षेत्रों के लिए आवश्यक सुविधाओं सेवाओं के प्राविधानों सहित लघु एवं दीर्घकालीन योजनाएं तैयार करना।

4– राज्य में रजिस्टर्ड हैवीहॉट डेवलपर्स (आर0एच0डी0) का पंजीकरण।

5– स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के सम्पैनलमेन्ट का कार्य।

6– विभिन्न निर्माण एवं विकास संबंधी मानकों का निर्धारण संबंधी कार्य।

7– राज्य स्तरीय आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण तथा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को नियोजन एवं तकनीकी परामर्श देना।

8– एकीकृत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम तैयार करना।

9– नगरीकरण के जनित वर्तमान एवं भावी नगरीय समस्याओं के निराकरण हेतु नियंत्रित विकास क्षेत्र का प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित करना।

इस प्रकार राज्य के विभिन्न अधिसूचित क्षेत्रों की दीर्घकालीन महायोजना तैयार करने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है।

2– नगर निकाय जहॉ वर्तमान मे महायोजना प्रभावी है।

क्रं0 सं0	जनपद	स्थानीय निकाय का नाम/पता	महायोजना	महायोजना अवधि	अभ्युक्ति
1	चमोली	नगर पंचायत, बद्रीनाथ	बद्रीनाथ महायोजना	2031	–
2		नगर पालिका परिषद, गौचर	गौचर महायोजना	2021	महायोजना वर्तमान वर्ष के उपरांत कालातीत हो जायेगी।
3	बागेश्वर	नगर पालिका परिषद, बागेश्वर	बागेश्वर महायोजना	2031	–
4	पौड़ी	नगर पालिका परिषद, पौड़ी	पौड़ी महायोजना	2031	–
5	देहरादून	नगर निगम, देहरादून	देहरादून महायोजना	2025	अमृत उपयोजना अंतर्गत महायोजना तैयार करने की कार्यवाही गतिमान है।
6	देहरादून	नगर पालिका परिषद, विकास नगर	दूनघाटी महायोजना	2031	–
7		नगर पालिका परिषद, डोईवाला			–
8		नगर पालिका परिषद, सेलाकुंई			–
9		नगर पालिका परिषद, हरबर्टपुर			–
10	हरिद्वार	नगर निगम, हरिद्वार	हरिद्वार महायोजना	2025	अमृत उपयोजना अंतर्गत महायोजना तैयार करने की कार्यवाही गतिमान है।
11		नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर			
12	उधमसिंह नगर	नगर निगम, रूद्रपुर	रूद्रपुर महायोजना	2031	अमृत उपयोजना अंतर्गत महायोजना तैयार करने की कार्यवाही गतिमान है।

नगर निकाय जहॉ वर्तमान मे महायोजना प्रभावी परन्तु कालातीत हो गयी हैं तथा नवीन महायोजना तैयार की जानी है।

क्रं0 सं0	जनपद	स्थानीय निकाय का नाम/पता	महायोजना	महायोजना अवधि	अभ्युक्ति
1	चमोली	नगर पालिका परिषद, चमोली–गोपेश्वर	चमोली–गोपेश्वर महायोजना	2016	–
2	देहरादून	नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश	ऋषिकेश महायोजना	2011	प्रारूप ऋषिकेश महायोजना– 2031 तैयार कर ली गयी है, प्रभावी किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही गतिमान है।
3	टिहरी	नगर पालिका परिषद, मुनिकीरेति–ढालवाला			
4	पौड़ी	नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जोंक			
5	पौड़ी	नगर पालिका परिषद, श्रीनगर	श्रीनगर महायोजना	2011	–
6	टिहरी	नगर पंचायत, कीर्तिनगर			
7	बागेश्वर	कौशानी–ल्वेशाल (नगर निकाय नहीं है)	बागेश्वर महायोजना	2011	–
8	उधमसिंह नगर	नगर निगम, काशीपुर	काशीपुर महायोजना	2011	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 206/2017 अंतर्गत नवीन महायोजना तैयार की जानी है।
9		नगर पालिका परिषद, बाजपुर	बाजपुर महायोजना	2011	
10		नगर पालिका परिषद, किच्छा	किच्छा महायोजना	1991	अमृत उपयोजना अंतर्गत महायोजना तैयार करने की कार्यवाही गतिमान है।
11	नैनीताल	नगर पालिका परिषद, नैनीताल	नैनीताल महायोजना	2011	अमृत उपयोजना अंतर्गत महायोजना तैयार करने की कार्यवाही गतिमान है।
12		नगर पंचायत, भीमताल	भीमताल महायोजना	2011	
13		नगर पालिका परिषद, रामनगर	रामनगर महायोजना	2001	–
14	टिहरी	नगर पालिका परिषद, टिहरी (नई टिहरी को सम्मिलित करते हुए)	नई टिहरी परियोजना	2005	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 690/2017 अंतर्गत नवीन महायोजना तैयारी की जानी है।
15		नगर पालिका परिषद, चम्बा			

नगर निकाय जहॉ प्रथमवार महायोजना तैयार की जानी है–

क्र. सं.	जनपद	स्थानीय निकाय का नाम/पता	अभ्युक्ति
1	देहरादून	नगर पालिका परिषद, मसूरी	–
2	हरिद्वार	नगर निगम, रूड़की	अमृत उपयोजना अंतर्गत महायोजना तैयार करने की कार्यवाही गतिमान है।
3		नगर पालिका परिषद, लण्ढौरा	
4		नगर पालिका परिषद, मंगलौर	
5		नगर पंचायत, भगवानपुर	
6		नगर पंचायत, लक्सर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 393/2017
7		नगर पंचायत, झबरेड़ा	–
8		नगर पंचायत, पिरान कलियर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 244/2017
9	उत्तरकाशी	नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 177/2017
10		नगर पालिका परिषद, बड़कोट	–
11		नगर पालिका परिषद, चिन्यालीसौड़	–
12		नगर पंचायत, गंगोत्री	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 188/2017
13		नगर पंचायत, पुरोला	–
14		नगर पंचायत, नौगांव	–
15	चमोली	नगर पालिका परिषद, जोशीमठ	–
16		नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग	–
17		नगर पालिका परिषद, गैरसैंण	गैरसैण महायोजना का कार्य गतिमान है, जिस हेतु बजट का प्राविधान उडा द्वारा किया जाना है।
18		नगर पंचायत, नंदप्रयाग	–
19		नगर पंचायत, पोखरी	–
20		नगर पंचायत, थराली	–
21		नगर पंचायत, पीपलकोटी,	–
22	टिहरी	नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर	–
23		नगर पालिका परिषद, देवप्रयाग	–
24		नगर पंचायत, घनसाली	–
25		नगर पंचायत, गजा	–
26		नगर पंचायत, लम्बगांव	–
27		नगर पंचायत, चमियाला	–
28	रूद्रप्रयाग	नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 723/2017
29		नगर पंचायत, केदारनाथ	महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की जा रही है।
30		नगर पंचायत, अगस्तमुनि	–
31		नगर पंचायत, ऊखीमठ	–
32		नगर पंचायत, तिलवाड़ा	–
33	पौड़ी	नगर पालिका परिषद, दुगड्डा	–
34		नगर पालिका परिषद, कोटद्वार	–
35		नगर पंचायत, सतपुली	–
36	पिथौरागढ़	नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 704/2017
37		नगर पालिका परिषद, धारचूला	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 68/2017
38		नगर पालिका परिषद, डीडीहाट	–
39		नगर पंचायत, गंगोलीहाट	–
40		नगर पंचायत, बेरीनाग	–
41	चम्पावत	नगर पालिका परिषद, चम्पावत	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 267/2017
42		नगर पालिका परिषद, टनकपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 266/2017
43		नगर पंचायत, लोहाघाट	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 248/2017
44		नगर पंचायत, बनबसा	–

45	अल्मोड़ा	नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा	–
46		नगर पालिका परिषद, रानीखेत–चिनियानौला	–
47		नगर पंचायत, द्वाराहाट	–
48		नगर पंचायत, भिकियासैंण	–
49		नगर पंचायत, भतरौंजखान	–
50	बागेश्वर	नगर पंचायत, कपकोट	–
51	नैनीताल	नगर निगम, हल्द्वानी	–
52		नगर पालिका परिषद, भवाली	अमृत उपयोजना अंतर्गत महायोजना तैयार करने की कार्यवाही गतिमान है।
53		नगर पंचायत, कालाढुंगी	–
54		नगर पंचायत, लालकुंआ	–
55	उधमसिंहनगर	नगर पालिका परिषद, गदरपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 470/2017
56		नगर पालिका परिषद, जसपुर	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 206/2017
57		नगर पालिका परिषद, खटीमा	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 206/2017
58		नगर पालिका परिषद, सितारगंज	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 206/2017
59		नगर पालिका परिषद, महुआखेड़ागंज	अमृत उपयोजना अंतर्गत महायोजना तैयार करने की कार्यवाही गतिमान है।
60		नगर पंचायत, महुआडावरा	–
61		नगर पंचायत, सुल्तानपुर पट्टी	–
62		नगर पंचायत, केलाखेड़ा	–
63		नगर पंचायत, दिनेशपुर	–
64		नगर पंचायत, शक्तिगढ	–
65		नगर पंचायत, नानकमत्ता	–
66		नगर पंचायत, गुलरभोज	–

(3) जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण–

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अधीन निम्न जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण गठित किये गये हैं। विभाग के खण्ड के सहयुक्त नियोजक द्वारा संबंधित प्राधिकरणों को आवश्यक नियोजन एवं तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

1– जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी
2– जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चमोली, गोपेश्वर
3– जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंहनगर
4– जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तरकाशी
5– जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल
6– जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, बागेश्वर
7– जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, अल्मोड़ा
8– जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, रूद्रप्रयाग
9– जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पौड़ी
10– जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ़

उक्त के अतिरिक्त राज्य में पूर्व से विद्यमान दो विकास प्राधिकरण क्रमशः मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण एवं हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण तथा एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण यथा दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण राज्य में कार्यरत हैं।

(4) विविध कार्य–

1– विभाग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में रजिस्टर्ड हैबिटॉट डेसलपर्स (आर0एच0डी0) का पंजीकरण का कार्य तथा पंजीकृत विकासकर्ताओं के आवासीय हैबिटॉट परियोजनाओं पर आवश्यकतानुसार तकनीकी अनापत्ति एवं स्वीकृति संबंधी कार्यवाही की जाती है। शासनादेश संख्या– 1942/V–आ0/06–115(आ0)/2006 दिनांक– 17 अगस्त, 2006 द्वारा राज्य में कलस्टर, नैवरहुड, टाउनशिप विकास हेतु निर्गत मार्गनिर्देशिका के क्रम में राज्य में विकासकर्ताओं के आर0एच0डी0 के पंजीकरण की व्यवस्था प्रारम्भ की गई। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम– 2011 में आर0एच0डी0 पंजीकरण एवं घोषित विकास क्षेत्र के वाहय क्षेत्रों में हैबिटॉट परियोजनाओं की स्वीकृति संबंधी गाईडलाईन्स व निर्धारित प्रक्रियानुसार विभाग द्वारा आर0एच0डी0 पंजीकरण, घोषित विकास क्षेत्र के वाहय क्षेत्रों में विभिन्न हैबिटॉट परियोजनाओं पर अनापत्ति/स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में आर0एच0डी0 पंजीकरण का कार्य मुख्यालय स्तर से किया जाता है तथा हैबिटॉट परियोजनाओं पर अनापत्ति/स्वीकृति खण्ड कार्यालय स्तर से दी जाती है।

2— आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार विभाग द्वारा राज्य में स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के सम्पैनलमैन्ट का कार्य किया जाता है।

3— मा0 उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय से संबंधित वाद के प्रकरण में शासन की ओर से प्रतिशपथ पत्र तैयार कर उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने का कार्य किया जाता है।

4— राज्य में पर्यटन एवं उद्योग को प्रोत्साहन नीति के अनुरूप आवास विभाग से संबंधित नीति निर्धारण में शासन को आवश्यक तकनीकी परामर्श, मानकों का निर्धारण एवं संस्तुति प्रस्तुत करना।

5— विभिन्न विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत विभिन्न शुल्कों एवं भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क की दरों में परीक्षणोपरान्त शासनादेश में संशोधन संबंधी प्रस्ताव तैयार करना।

6— नियोजन, भू—उपयोग परिवर्तन प्रकरणों, पर्यटन स्थलों एवं औद्योगिक विकास के अनुश्रवण में समय—समय पर शासन को विभागीय तकनीकी सहयोग देना।

7— ईज ऑफ डुइंग बिजनेस (EoDB) के Mandate के अनुसार मानचित्र की स्वीकृति प्रक्रिया को सरलीकरण किये जाने के निर्णय के क्रम में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में संशोधन संबंधी विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित करना।

8— अमृत (AMRUT) योजना अंतर्गत चयनित नगरों की महायोजनायें तैयार करने में नगर विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड को आवश्यक तकनीकी परामर्श व महायोजना कार्य का पर्यवेक्षण करना।

(5) नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड के मुख्यालय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों के पता निम्नानुसार हैं—

1— मुख्यालय पता— नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, राजीव गांधी बहुउद्देशीय कॉम्पलैक्स, पंचम तल, डिस्पेंसरी रोड़, देहरादून—248001

2— जिला स्तरीय नियोजन इकाई, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, जज फार्म गेट चौराहा, विमलकुॅज, रूपनगर, हल्द्वानी।

3— जिला स्तरीय नियोजन इकाई, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, महायोजना निर्माण भवन, जी0एम0एस0 रोड़, देहरादून।

(6) शासनादेश संख्या— 1337/**XXXi(13)G**/2011 दिनांक— 28.10.2011 द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड में सेवा के अधिकार अधिनियम— 2011 के अंतर्गत निम्न सेवायें निर्धारित की गयी हैं—

1— आर0एच0डी0 का पंजीकरण/नवीनीकरण।

2— घोषित विकास क्षेत्र के बाहर स्थित आर0एच0डी0 के हैबीटॉट परियोजना पर तकनीकी आपत्ति।

3— घोषित विकास क्षेत्र के बाहर स्थित आर0एच0डी0 के हैबीटॉट परियोजना की स्वीकृति।

4— घोषित विकास क्षेत्र के बाहर स्थित आर0एच0डी0 हैबीटॉट परियोजना की पूर्णता प्रमाण—पत्र।

तत्संबंध में विभाग के मुख्यालय एवं खण्डीय कार्यालय द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यो का विस्तृत विवरण परिशिष्ठ— 2 व 3 में संलग्न है।

(7) सूचना का अधिकार अधिनियम— 2005—

विभाग के संगठन, कर्तव्य, अधिकारियों की शक्तियों तथा कर्तव्य इत्यादि 16 महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत तैयार मैनुअल मुख्यालय एवं कार्यालयो में उपलब्ध है। जनसामान्य की सुविधा एवं सूचना हेतु मैनुअल की प्रति सूचना काउन्टर पर उपलब्ध है।

सूचना का अधिकार अधिनियम— 2005 के अंतर्गत सूचनाओं की प्राप्ति एवं प्रेषण हेतु विभाग के मुख्यालय एवं खण्डीय कार्यालयों में निम्न अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष
अपीलीय अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी, मुख्यालय, देहरादून			
01	श्री बालेश्वर मुर्थल	अपीलीय अधिकारी/संख्याधिकारी, मुख्यालय, देहरादून	0135— 2975493
02	श्री सोमप्रकाश तिवारी	लोक सूचना अधिकारी/सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	0135— 2975493
03	श्रीमती साक्षी खंकरियाल	सहा0 लोक सूचना अधिकारी/सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	0135— 2975493
अपीलीय अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी, जिला स्तरीय नियोजन इकाई, हल्द्वानी			
01		अपीलीय अधिकारी/..	05946— 263139
02	श्रीमती सीता रावत	लोक सूचना अधिकारी/अपर सांख्यिकीय अधिकारी	05946— 263139
03	श्री हरीश चिल्कोटी	सहा0 लोक सूचना अधिकारी/सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	05946— 263139

अपीलीय अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी, महायोजना निर्माण भवन, जी0एम0एस0 रोड़, देहादून			
01		अपीलीय अधिकारी/..	
02		लोक सूचना अधिकारी/अपर सांख्यिकीय अधिकारी	
03		सहा0 लोक सूचना अधिकारी/सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	

नोट– स्थानान्तरण एवं पटल परिवर्तन पर आदेशानुसार नाम एवं पदनाम में परिवर्तन हो सकता है।

<u>प्राप्त शिकायतों का निस्तारण</u>–

(अ) कोर ग्रुप मुख्यालय– 0135– 2975493 1– श्री शशि मोहन श्रीवास्तव (वरिष्ठ नियोजक, स्तर–2)

2– श्रीमती शालू थिण्ड (वरिष्ठ नियोजक, स्तर–2)

(ब) कोर ग्रुप जिला नियोजन इकाई, हल्द्वानी– 05946– 263139 1–

2–

(जिला– नैनीताल, उधमसिंहनगर, चम्पावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा)

(ब) कोर ग्रुप जिला नियोजन इकाई, देहरादून– ....– 1–

2–

(जिला– टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार)

(कोर ग्रुप की बैठक प्रत्येक माह के तृतीय शनिवार को निर्धारित की जायेगी)

उक्त कोर ग्रुप स्तर पर पंजीकृत तिथि से शिकायतों का पन्द्रह दिन में निस्तारण न होने पर नगर एवं ग्राम नियोजन, विभाग के मुख्यालय पर श्री श्री शशि मोहन श्रीवास्तव, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, राजीव गांधी बहुउद्देशीय कॉम्पलैक्स, पंचम तल, डिस्पेंसरी रोड़, देहरादून– 248001 के दूरभाष संख्या– 0135– 2975493 पर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

विभाग का वेबपोर्टल– www.tcp.uk.gov.in मुख्यालय की ई–मेल आई0डी0– tcpd_uk@live.com